

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश


का0आ0सं0:- 06/अ0प्र0-07-01/2026

65

पटना, दिनांक- 28.1.26

श्री शशांत सौरभ, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर-तारापुर द्वारा अपने द्वितीय संतान के जन्म अवसर पर दिनांक 07.01.2026 से दिनांक 21.01.2026 तक कुल 15 दिनों तक उपभोग किये गये अवकाश को बिहार सेवा संहिता के नियम 220 एवं वित्त विभाग का संकल्प संख्या 2498 दिनांक 12.04.2007 एवं पत्रांक 9889 दिनांक 01.12.2015 के आलोक में पितृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।


2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


28/01/26
(उमंग)

सरकार के उप सचिव
पटना, दिनांक-

ज्ञापांक:- 06/अ0प्र0-07-01/2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



28/01/26

सरकार के उप सचिव
पटना, दिनांक- 28.1.27

ज्ञापांक:- 06/अ0प्र0-07-01/2026

1073

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव के निजी सहायक/आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ श्री शशांत सौरभ, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर-तारापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


28/01/26

सरकार के उप सचिव

